

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश : जबलपुर

//आदेश//

क्रमांक.. **C/3552**/

जबलपुर, दिनांक.. **30/07/2019**

चार-12-14/10

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 2446/21-ब दिनांक 15.4.2019 में दिये गये निर्देशों के तहत रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी/2690 दिनांक 15.4.2019 द्वारा श्री इकबाल खान गौरी, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी का चयनग्रेड वेतनमान रु० 57700-1230-58930- 1380-67210-1540-70290 में किये गये वेतन निर्धारण को एतद् द्वारा संशोधित किया जाकर उनका पुनरीक्षित वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

चयनग्रेड वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक	नियुक्ति दि० को एंटी वेतन में प्राप्त वेतन व दिनांक व चयनग्रेड वेतन मान में आगामी वे०वृ० का दिनांक	सुपर समय वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक	नियुक्ति दि० को चयनग्रेड वेतनमान में प्राप्त वेतन व दि०व आगामी वे०वृ०का दि०	निर्धारित वेतन	देय दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.	6.
10.3.2016 वेतनमान 57700- 70290	<u>57700.00</u> 23.10.2015 23.10.2016 23.10.2017 23.10.2018	रजि० आदेश क्र० 552/गो०/2019 दिनांक 7.5.2019 द्वारा सु०स०वे०मान स्वीकृत 1.1.2019	<u>63070.00</u> 23.10.2018	58930.00 60310.00 61690.00 63070.00 70290.00	10.3.2016 1.10.2016 1.10.2017 1.10.2018 1.1.2019
आगामी वेतनवृद्धि दिनांक 1.1.2020					

Sd/-

**(डॉ०आर०के०मिश्रा)
ओ०एस०डी०(लेखा)**

पृष्ठांकन क्रमांक **C/3553**/

जबलपुर, दिनांक.. **30/07/2019**

चार-12-14/10

प्रतिलिपि:-

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना/शाजापुर/होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
2. श्री इकबाल खान गौरी, विशेष न्यायाधीश, होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

नोट - रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2018 दिनांक 1.3.2019 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है । अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें ।

Sd/-
ओ०एस०डी०(लेखा)
30/7/19
Phm